

काम्या खारोल बनाम गोपाल खारोल  
धारा -> 88, 89, 108 FIA मुख्य नं०/वर्ष -> 40/21

28.07.2023 -

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

